उत्तर प्रदेश शासन
पर्यटन अनुभाग-2
संख्या-147/2024/565/41-2-2024-CN-**196117**
लखनऊ दिनांक 18 मार्च, 2024

शुद्धि पत्र

उप निदेशक, पर्यटन के पत्र संख्या-11107/18/202/36-LAND(बजट-2023-24)/2023-24, दिनांक 17 मार्च, 2024 द्वारा संसूचित वस्तुस्थिति के अनुसार अयोध्या के 06 प्रवेश द्वारों में से जनपद गोण्डा की सीमा में आने वाले 02 प्रवेश द्वारों के लिए भूमि क्रय हेतु निर्गत शासनादेश संख्या-144/2024/आई/399/001-41-2-2023-**CN-**196117, दिनांक 16.03.2024 के प्रस्तर-3 में जिलाधिकारी, गोण्डा के स्थान पर त्रुटिवश जिलाधिकारी, अयोध्या अंकित हो गया है। अत: शासनादेश संख्या-144/2024/आई/399/001-41-2-2023-**CN-**196117, दिनांक 16.03.2024 के प्रस्तर-3 एवं प्रस्तर-3 के उप प्रस्तरों (13) तथा (14) में उल्लिखित जिलाधिकारी, अयोध्या के स्थान पर जिलाधिकारी, गोण्डा अंकित किया जाता है।

2- तदनुसार सन्दर्भगत शासनादेश दिनांक 16.03.2024 को संशोधित समझा/पढ़ा जाय। शेष शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे।

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्य क कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0 प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0 प्र0, प्रयागराज।
3. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश।
4. प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0 प्र0 शासन।
5. आयुक्त, अयोध्या/लखनऊ/ देवीपाटन/बस्ती मण्डल।
6. आयुक्त, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
7. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. जिलाधिकारी,अयोध्या/रायबरेली/सुल्तानपुर/लखनऊ/अम्बेडकरनगर/गोण्डा/बस्ती।
9. उपाध्यक्ष, अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या।
10. सम्बन्धित उप निबन्धक, सम्बन्धित तहसील/जनपद।
11. वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, उ0 प्र0, लखनऊ।
12. श्री दिनेश कुमार, उप निदेशक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया क्रमांक-4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 व 14 को अपने स्तर से आदेश की प्रति प्रेषित करने का कष्ट करें।
13. सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
14. सम्बन्धित क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी।
15. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ।
16. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/2, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ।
17. गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in